

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन भागों के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शम्भुरिया व भू अभिलेख निरीक्षक नि. 0510 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सखलपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-78 में खाता संख्या 133 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
02	<u>सखलपुरा</u>	133	मोहन पि रेखा	<u>मोहन लाल पि 02 कुमाण लाल</u>

म. म. म.
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 84दिनांक- 9/12/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

म. म. म.
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

PP14/2021
2021/712

